न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/336 जिला–अजमेर

गौरी शंकर पुत्र गणपत दास, जाति साधू निवासी रघुनाथपुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश अपर कलक्टर, अजमेर दिनांक 18–08–2022
अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 48/2022
बउनवान गौरी शंकर बनाम राज0 सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री भींयाराम चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 06–02–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सागरमाला के खसरा नम्बर 31 रकबा 1.5775 हैक्टर व खसरा नम्बर 157/63 रकबा 1.9820 हैक्टर पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा कर लेने के संबंध में पटवारी हल्का रोडावास ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सम्वत् 2078 में कब्जा कर लेने पर प्रकरण नायब तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर उक्त प्रकरण नायब तहसीलदार द्वारा रूपनगढ़ ने दर्ज कर नोटिस जारी कर तारीख पेशी 31–01–2022 निश्चित की। विवादित आराजियात बाबत एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त कार्यवाही के विरूद्ध अपर कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–2022 को खारिज कर दी। अधीनस्थ

न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात ग्राम सागरमाला पटवार हल्का रोडावास तहसील रूपनगढ़ में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 31 रकबा 1.5775 हैक्टर व 157/63 रकबा 1.9820 हैक्टर की आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 28/2020 व राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2022 बउनवान गौरीशंकर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार रूपनगढ पक्षकार है और उक्त प्रकरण दिनांक 04–04–2022 को दर्ज कर लिया गया जिसमें तहसीलदार व पटवारी हल्का को नोटिस जारी किये गये जो तामील भी हो चुके है। आगामी तारीख पेशी दिनांक 29–07–2022 नियत हाने के बावजूद भी तहसीलदार रूपनगढ ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए निर्णय पारित कर दिया जो अपर कलक्टर अजमेर ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर अपील को खारिज कर दिया।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने केवल पटवारी हल्का रोडावास की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का अतिक्रमण बाबत जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 21–02–2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के साथ उसका पुत्र व परिवार का भी कब्जा काश्त है जिसका पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25–02–2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और दिनांक 03–03–2022 को अपीलार्थी मय अधिवक्ता धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 03–03–2022 को साक्ष्य पटवारी हल्का के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का के बयान करवा लिये जबकि उसकी जिरह के लिए प्रार्थी को पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया था कि जिस भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा उसकी पुश्तैनी कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को मौके की वास्तविक स्थिति अपीलार्थी की कब्जा भूमि व खसरा नम्बर 31 व 157/63 बाबत मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाई जानी आवश्यक थी। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी का जिस भूमि पर कब्जा काश्त है वह अपीलार्थी की

पुश्तैनी आराजियात है और उक्त भूमि पर अपीलार्थी का वर्षो पुराना कब्जा काश्त है उक्त आराजी बाबत एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ के समक्ष विचाराधीन है जिनमें नायब तहसीलदार रूपनगढ व पटवारी हल्का रोडावास पक्षकार है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी को अनिर्णित रख दिया और मात्र कयासों के आधार पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मान लिया जबकि अपीलार्थी व उसके परिवार के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि भी नहीं है। अपीलार्थी भूमिहीन गरीब काश्तकार है जो अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है जिससे अपीलार्थी के द्वारा सम्वत 2078 में अतिक्रमण किया जाना किसी प्रकार से साबित नहीं था और उसका विवादित आराजियात पर वर्षो पुराना कब्जा काश्त है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–08–2022 एव नायब तहसीलदार रूपनगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–06–2022 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजियात जो कि सिवायचक भूमि है पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है जो कि पटवारी हल्का रोडावास की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अपीलार्थी विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। विवादित आराजियात पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। तहसीलदार द्वारा धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखली के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। सिवायचक भूमि पर कब्जा अतिक्रमण करने पर बेदखली शास्ति व कारावास का दण्ड देने के अधिकार है। भूमि नियमन के अलग प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलार्थी को विधिवत सुनकर दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सागरमाला के खसरा नम्बर 31 रकबा 1.5775 हैक्टर व खसरा नम्बर 157/63 रकबा 1.9820 हैक्टर पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा कर लेने के संबंध में पटवारी हल्का रोडावास ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सम्वत् 2078 में अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने पर प्रकरण नायब तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। विवादित आराजियात पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का रोडावास के आधार पर प्रकरण सं. 03/2022 दर्ज कर अतिक्रमी को धारा 91 के तहत् नोटिस जारी किया गया तथा

अतिक्रमण स्पष्ट होने से दिनांक 06–06–2022 से उपरोक्त अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने व जुर्माना कायमी का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपर जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 18–08–2022 में उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से पड़त कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। अपीलार्थी का यह कथन भी गलत है कि उसे साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा का नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी रूपानगढ़ के न्यायालय में दायर कर रखा है जो विचाराधीन है जिसमें वांछित अनुतोष प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–08–2022 एवं तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–06–2022 विधिक प्रक्रिया अपनाकर पारित किये गये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–2022 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 48/2022 बउनवान गौरीशंकर बनाम राजस्थान सरकार एवं तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–06–2022 अन्तर्गत राजस्व मुकदमा नम्बर 03/2022 बउनवान सरकार बनाम गौरीशंकर विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर